न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :–02 / 2025 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2025 / 04)

राजस्थान सरकार जरिये, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

—————— प्रार्थी

बनाम

श्रीमती निरमा पत्नि श्री जीतेन्द्र मीणा जाति मीणा निवासी तालाबशाही खानपुर मीणा तह0 बाडी जिला धौलपुर।

——————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम),धौलपुर

2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग एडवोकेट, धौलपुर

निर्णय *दिनांक* 22.07.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 08.01.2025 को टीम के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बाबा भूमियां मंदिर के सामने मकान श्री जीतेन्द्र मीणा तालाबशाही ग्राम पंचायत खानपुर मीणा तहसील बाडी पर घरेलू एलपीजी के अवैध भण्डारण, क्रय विक्रय एवं कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त दुकान में कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर(आईओसीएल) मय एलपीजी गैस रखे हुये थे। मौके पर जांच दल के समक्ष मकान पर उपस्थित महिला ने स्वंय को निरमा पत्नि श्री जीतेन्द्र मीणा होना बताया तथा स्वंय एवं पति द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को बेचना बताया। मौके पर निरमा द्वारा जीतेन्द्र मीणा से दूरभाष पर बात कराई गई जिन्होंने स्वंय को आवश्यक कार्य से बाहर होना तथा बाडी स्थित शम्भू गैस सर्विस से एमओयू कर सीएससी स्थापित करने की बात कही गई। मौके पर प्राप्त 09 गैस सिलेण्डर मुताबिक एमओयू प्राधिकृत सीमा कुल 07 घेरलू गैस सिलेण्डर से अधिक पाये जाने पर बकाया 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के

जिला कलक्टर
धौलपुर

उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को नजदीकी गैस एजेंसी रूपा एच.पी. गैस एजेंसी खानपुर मीणा के प्रतिनिधि श्री राजेश रावत पुत्र श्री जगमन सिंह रावत उम्र करीब 21 वर्ष जाति रावत निवासी मिहावरा पोस्ट हथैडा तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म0प्र0) मो0न0 7722818721 की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 27.9 कि.ग्रा. को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द मौका अभिग्रहणनामा एवं सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्शा, फर्द तलपट्टी पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाते हुए इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि वह इस नोटिस के संबन्ध में अपना पक्ष रखना चाहती या दस्तावेज पेश करना चाहती हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि प्रार्थिया घरेलू गैस सिलेण्डर बेचने का कोई कारोबार नहीं करती इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व एल.पी.जी. कण्ट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई अपराध नहीं बनता। प्रार्थिया का पति श्री जीतेन्द्र मीणा पुत्र हुकम सिंह मीणा निवासी तालाबशाही खानपुर मीणा ने सी.एस.सी. शम्भू गैस सर्विस से एक एमओयू गांव में सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने का दिनांक 26 जून 2022 को किया। एमओयू के तहत् प्रार्थिया के पति को 07 एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रखने की परमीशन थी। दिनांक 08.01.2025 को रामकेश मीणा अपना भरा सिलेण्डर यह कहकर रख गया कि मैं बाडी जा रहा हूँ, शाम को लौटते मैं उठाकर ले जाउंगा। एक खाली एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर राघवेन्द्र रख गया और बाडी बाजार से लौटकर उठा ले जाने की कह गया। इस प्रकार शाम को जब प्रवर्तन निरीक्षक की जो टीम आई, उसको 07 गैस सिलेण्डर की जगह 09 गैस सिलेण्डर मिलें। प्रार्थिया अथवा उसका पति गैस सिलेण्डर का कोई अवैध कारोबार नहीं करते है। इस कारण प्रार्थिया अथवा उसके पति के विरूद्व एल.पी.जी. कण्ट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई अपराध नहीं बनता है। अतिरिक्त 02 गैस सिलेण्डर रामकेश मीणा व राघवेन्द्र के है, जिन्हे प्रार्थिया के कब्जे से बरामद किया गया है। इस कारण जब्तशुदा दो सिलेण्डर प्रार्थिया की सुपुर्दगी में प्रदान किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर उक्त दुकान में कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर(आईओसीएल) मय एलपीजी गैस रखे हुये थे। मौके पर जांच दल के समक्ष मकान पर उपस्थित महिला ने स्वंय को निरमा पत्नि श्री जीतेन्द्र मीणा होना बताया तथा स्वंय एवं पति द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को बेचना बताया। मौके पर निरमा द्वारा जीतेन्द्र मीणा से

जिला कलक्टर
धौलपुर

दूरभाष पर बात कराई गई जिन्होंने स्वंय का आवश्यक कार्य से बाहर होना तथा बाडी स्थित शम्भू गैस सर्विस से एमओयू कर सीएससी स्थापित करने की बात कही गई। मौके पर प्राप्त 09 गैस सिलेण्डर मुताबिक एमओयू प्राधिकृत सीमा कुल 07 घेरलू गैस सिलेण्डर से अधिक पाये जाने पर बकाया 02 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया घरेलू गैस सिलेण्डर बेचने का कोई कारोबार नहीं करती, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व एल.पी.जी. कण्ट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई अपराध नहीं बनता। प्रार्थिया का पति श्री जीतेन्द्र मीणा पुत्र हुकम सिंह मीणा निवासी तालाबशाही खानपुर मीणा ने सी.एस.सी. शम्भू गैस सर्विस से एक एमओयू गांव में सिलेण्डर डिस्ट्रीब्यूट करने का दिनांक 26 जून 2022 को किया। एमओयू के तहत प्रार्थिया के पति को 07 एल. पी.जी. गैस सिलेण्डर रखने की परमीशन थी। दिनांक 08.01.2025 को रामकेश मीणा अपना भरा सिलेण्डर यह कहकर रख गया कि मैं बाडी जा रहा हूँ शाम को लौटते मैं उठाकर ले जाउंगा। एक खाली एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर राघवेन्द्र रख गया और बाडी बाजार से लौटकर उठा ले जाने की कह गया। इस प्रकार शाम को जब प्रवर्तन निरीक्षक की जो टीम आई उसको 07 गैस सिलेण्डर की जगह 09 गैस सिलेण्डर मिलें। प्रार्थिय अथवा उसका पति गैस सिलेण्डर का कोई अवैध करोबार नहीं करते है, इस कारण प्रार्थिया अथवा पति विरूद्व एल.पी.जी. कण्ट्रोल ऑर्डर 2000 का कोई अपराध नहीं बनता है एवं अतिरिक्त 02 गैस सिलेण्डर रामकेश मीणा व राघवेन्द्र के है, जिन्हे प्रार्थिया के कब्जे से बरामद किया गया है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.01.2025 को बाबा भूमियां मंदिर के सामने मकान श्री जीतेन्द्र मीणा तालाबशाही ग्राम पंचायत खानपुर मीणा तहसील बाडी मौके पर कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मय एलपीजी गैस रखे हुये थे। मौके पर जांच दल के समक्ष मकान पर उपस्थित महिला ने स्वंय को निरमा पत्नि श्री जीतेन्द्र मीणा होना बताया तथा स्वंय एवं पति द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपभोक्ताओं को बेचना बताया। मौके पर निरमा द्वारा जीतेन्द्र मीणा से दूरभाष पर बात कराई गई जिन्होंने स्वंय को आवश्यक कार्य से बाहर होना तथा बाडी स्थित शम्भू गैस सर्विस से एमओयू कर सीएससी स्थापित करने की बात कही गई। मौके पर प्राप्त 09 गैस सिलेण्डर मुताबिक एमओयू प्राधिकृत सीमा कुल 07 घेरलू गैस सिलेण्डर से अधिक पाये जाने पर बकाया 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें, जो कानूनन सही नहीं है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जप्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस 27.9 किग्रा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत् न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर जो जब्त या राजसात किये गये हैं, को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है, इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी, वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)